

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(10)वित्त/आब/2013

जयपुर, दिनांक: 08/10/2020

आदेश

श्री दर्ईदान सिंह भाटी, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन बीकानेर ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.08.2020 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु आवेदन किया है।


श्री दर्ईदान सिंह भाटी, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन बीकानेर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निर्देशानुसार स्वीकृत करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 संशोधित नियम, 1999 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री भाटी को दिनांक 31.12.2020 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

कार्मिक विभाग एवं आबकारी आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री भाटी के विरुद्ध आदिनांक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।

उपरोक्त स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी सं. F20003155 दिनांक 24.09.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।


आज्ञा से,



(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
4. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 231 दिनांक 04.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर) विभाग।
6. श्री दर्ईदान सिंह भाटी, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन बीकानेर द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website: www.finance.rajasthan.gov.in.email:

dsfexcise@rajasthan.gov.in